न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3875–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–9–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ जिला देवास, प्रकरण कमांक 2/अपील/2012–13.

.....

1–तेजसिंह पिता श्री हरिनारायण
2–धर्मसिंह पिता श्री हरिनारायण
3–कांतिलाल पिता श्री हरिनारायण
निवासीगण ग्राम जमोनिया तहसील टोंकखुर्द
जिला देवास म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रामप्रसाद पिता बोन्दाजी
2–हरिनारायण पिता बोन्दाजी
3–कैलाश पिता जगन्नाथ
4–गंगाराम पिता जगन्नाथ
5–बद्रीलाल पिता जगन्नाथ
6–नंदकिशोर पिता जगन्नाथ
निवासीगण ग्राम जमोनिया तहसील टोंकखुर्द
जिला देवास म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री संतोष वाजपेयी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 27/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 9–10–2012 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 2/अपील/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान भंवरबाई की मृत्यु होने के कारण अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16–9–2014 को आदेश पारित कर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार से वारिसाना रिपोर्ट मंगाई गई थी और तहसीलदार द्वारा असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया था, परन्तु वसीयतनामा पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत तहसीलदार से जॉच कर वारिसाना की रिपोर्ट मंगाई थी और उक्त रिपोर्ट के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है

जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, क्योंकि उनके पक्ष में भंवरबाई द्वारा वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । अतः वसीयतनामा संदिग्ध मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही बटवारे एवं बटांन से संबंधित है, जो कि अभिलिखित सह खातेदार के मध्य होती है । आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं है उनके द्वारा उनके पक्ष में वसीयतनाम होने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व बतलाया जा रहा है । यदि उनके पक्ष में वसीयतनामा था तब उन्हें पूर्व में ही विधिवत् कार्यवाही कर अपना नामान्तरण कराना चाहिये था । चूँकि वे प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं है, इसलिये उनकी आपत्ति निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–9–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर